**पत्रांक-21/रा.सू.आ.(डैसबोर्ड)-02/2022सा.प्र. 18037 /**

**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

**शिवमहादेव प्रसाद,**
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 10.10.22

**विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 एवं अन्य सभी प्रावधानों का सम्यक रूप से अनुपालन कराये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4 के तहत स्वउत्प्रेरण से सूचनाओं का प्रकटीकरण (Voluntary Disclosure) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 का क्रियान्वयन सभी लोक प्राधिकारों द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में विभागीय पत्रांक–6279 दिनांक–01.07.2009 तथा अनुवर्ती विभिन्न स्मार पत्रों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के क्रियान्वयन एवं सभी विभागीय आदेश/आवश्यक कागजात को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने एवं उन्हें प्रत्येक वर्ष अद्यतन कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अद्यतन दिशा–निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 16104 दिनांक 08.09.2022 द्वारा निर्गत है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सूचना आयोग के वाद संख्या–A 4939/2022 श्री प्रणव कुमार चर्चिल बनाम् प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–जिला पदाधिकारी, नवादा/लोक सूचना पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर, नवादा में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 13.07.2022 को पारित आदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के प्रावधानों का सही सही अनुपालन प्रत्येक कार्यालय में कराये जाने का निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के प्रावधानों का सही सही अनुपालन कराये जाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

10.10.22

**(शिवमहादेव प्रसाद)**
सरकार के अवर सचिव।